न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

..... रामस्वरूप ..... **बनाम** ..... जयकिशन, सरकार .....

किस्म मुकदमा : 49 (1)(2) आर.टी.ए. प्रकरण संख्या ..... 77 / 17.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमाक जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये हो।
14-05-2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 'न्याय आपके द्वार, 2018' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय मान्दलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आज पेश हुई। जिसमें प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 49(1)(2) व 49(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का भूमिहीन कृषक है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 63 रकबा 2 हैक्टर पर 15 वर्षो (1984 से) पूर्व का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को अपने नाम आवंटन करवाकर नियमन कराने हेतु माननीय जिला कलक्टर एवं जिलाधीश महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश कर रखा था जिस पर कार्यवाही चल रही थी परन्तु सहवन से उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी क्रम 1 जयकिशन पुत्र हीरालाल के नाम हो गया। प्रार्थी द्वारा इस आवंटन की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में की गई। इसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दोनों निर्णय निरस्त किये गये और प्रार्थी को रेवेन्यू ऑथोरिटी के यहां प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु आदेशित किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच की पालना में खसरा नम्बर 63 रकबा 2 हैक्टर का आवंटन प्रार्थी के नाम किया जावे। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति, खसरा गिरदावरी, धारा 91 के नोटिस, पेनल्टी जमा रसीद की फोटोप्रतियां, वर्तमान जमाबन्दी की नकल, जयकिशन को किये गये आवंटन का आवंटन–पत्र संलग्न पेश की गई है। शिविर में प्रार्थी अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ जिनकी प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये प्रार्थी को विवादित खसरा नम्बर 63 की 2 हैक्टर आराजी का आवंटन किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थी क्रम 1 विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। उक्त आराजी उसके नाम से विधिवत आवंटित होने के उपरान्त नियमानुसार विधिक प्रक्रियानुसार, नामान्तरकरण संख्या 239 दिनांक 20.07.2005 से उसके खाते दर्ज हुई है। जबकि, प्रार्थी को आदिनांक तक किसी आराजी का कोई विधिवत आवंटन नहीं हुआ है तथापि प्रार्थी विवादित आराजी पर अतिक्रमी के रूप में कब्जे काश्त है। भूमिहीन व्यक्ति को कृषि हेतु भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है। प्रार्थी द्वारा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर आवंटन चाहा गया है जो विधिसंगत तर्क नहीं है। अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया आवंटन विधिसंगत होने से पूर्णतया सही है। प्रार्थी द्वारा की गई अपील को निरस्त किया जाना भी इसी बात का द्योतक है कि अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया आराजी का आवंटन सही है। इस सम्बन्ध में शिविर में उपस्थित ग्रामवासियान से जानकारी करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि प्रार्थी वास्तविक रूप से भूमिहीन नहीं है। ग्राम दौलतपुरा में उसके सहखातेदारी की भूमि उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट है कि प्रार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 49(1)(2) व 49(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 14/5/18	